

सेवा में

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सिवाना जिला बालोतरा


विषय - राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खरखिया की जमाबन्दी संवत् 2027 से 2080 के खाता संख्या 181, 233 मेरा/हमारा नाम रतुजा पुत्र जैठा 184, 105 दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर 182, रतुजा राम पुत्र जैठाराम हैं।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरवाने की कृपा करावें।


(रतुजा राम)
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण


रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक

ग्रामीण के स्थलगत दस्तावेजों अनुसार रतुजा पुत्र जैठा
के स्थान पर रतुजाराम पुत्र जैठाराम नाम कुरसु एवं
सम्मानजनक किया जाना उचित है।


रतुजाराम
23/12/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित हैं।


तहसीलदार समदड़ी 23.12.25
तहसीलदार समदड़ी
13/03/2026

CcMS No. 2026/200

आदेश

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/ 194

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम खरखिया दिनांक:-/...../2025
से 2080 के खाता संख्या 181, 182, 184 में रतुजा पुत्र जैठा की जमाबन्दी संवत् 2027
स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज 233, 105 में रतुजा राम पुत्र जैठाराम के
करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



उपखण्ड अधिकारी सिवाना,
सिवाना (बालोतरा)